राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

कमांकःप.8(ग)(   )(PSKS)/डीएलबी/21/1261-1476   दिनांकः 01/02/2022

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषयः— कृषि भूमि रूपान्तरण के एकल पट्टे के प्रकरण चैक लिस्ट में भेजने बाबत।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण के एकल पट्टे के प्रकरण संलग्न चैक लिस्ट एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही विभाग को भेजें जावे।

संलग्नः— चैक लिस्ट प्रारूप।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांकःप.8(ग)(   )(PSKS) /डीएलबी/21/~~1477~~-1488   दिनांकः 01/02/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D/PSKS2021/letter

नगरीय निकाय का नाम ....

प्रारूप

एकल पट्टे के प्रकरण की संवीक्षा हेतु चैक लिस्ट

क्र. सं.	बिन्दु		सूचना	
1.	आवेदक का नाम व पता व पूर्ण विवरण			
2.	भू–स्वामित्व दस्तावेजों अनुसार भू–स्वामी का नाम पता व पूर्ण विवरण			
3.	क्या उक्त भूमि आवेदक की कृषि भूमि है ?			
4.	भूमि का विवरण :–	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टयर)
	आवेदन अनुसार			
	जमाबन्दी अनुसार			
	90–क आदेश अनुसार			
	ले–आउट अनुसार			
	प्रस्तावित एकल पट्टे के रूपान्तरण/नियमन हेतु प्रस्तावित भूमि			
5.	जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति			
6.	पहुँच मार्ग	(i) मौके पर उपलब्ध चौडाई (ii)नियमानुसार न्यूनतम अपेक्षित चौडाई		
7.	क्या आवेदित भू–उपयोग, मास्टर प्लान भू–उपयोग के अनुरूप है या मास्टर प्लान भू–उपयोग में अनुज्ञेय है ?			
8	क्या प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन हुआ है ? यदि हां तो भू–उपयोग परिवर्तन आदेश की प्रति			
9.	प्रकरण में स्थानीय निकाय द्वारा 90–ए की कार्यवाही की जाकर पुर्नग्रहण आदेश जारी करने की दिनांक व संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति।			
10.	नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रति			
11.	ले–आउट अनुमोदन हेतु सक्षम समिति का निर्णय/कार्यवाही विवरण			
12.	यदि प्रकरण में मास्टर प्लान के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी आ रही हो तो उसकी स्थिति एवं क्षेत्रफल			
13.	एकल पट्टा प्रकरण में छुडवाये जाने वाले सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं ले–आउट प्लान पर अंकन/सुविधा क्षेत्र के एवज में जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (जो भी लागू हो)			
14.	क्या यह भूमि अधिसूचित निर्माण निषेध क्षेत्र में आती है या नही ? यदि हां तो विवरण दें			
15.	क्या मूल खातेदारों द्वारा उक्त भूमि के स्थानीय निकाय के हक में समर्पण पत्र, शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत किये है या नही ?			

16.	क्या प्रस्तावित भूमि पर स्थानीय निकाय की वर्तमान में कोई योजना है या किसी अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन/प्रस्तावित है।	
17	एकल पट्टे बाबत राज्य स्तरीय समाचार पत्र में लोक सूचना प्रकाशित करने का ब्यौरा	
18	प्रश्नगत भूमि पर आवेदक के स्वामित्व बाबत रिपोर्ट	
19	क्या प्रश्नगत भूमि से संबंधित किसी प्रकार का भुगतान/शुल्क/कर आदि संबंधित निकाय को देय है (विवरण देवें)	
20.	प्रश्नगत भूमि के संबंध में यदि न्यायालय से कोई स्थगन हो अथवा न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई वाद विचाराधीन हो तो उसका विवरण	
21.	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हां तो संबंधित पत्र का कमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य सरकार के जवाबी पत्र कमांक, दिनांक व प्रति व निर्देशों के कम में की गई कार्यवाही/टिप्पणी	
22	अन्य बिन्दु जो निर्णय लेने में सहायक हो	
23.	क्या आवेदित भूमि एकल पट्टे के अनुमोदन के लिए पात्र है (स्पष्ट अनुशंषा अंकित करें)	

हस्ताक्षर

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगरीय निकाय ....